न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2025(रा.अ.) (GCMS 2025/157)	14.07.2025	08.10.2025

अनवान

किशनलाल पिता रामलाल धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी

बनाम

1. उप तहसीलदार, उप तहसील कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।
2. पटवारी, पटवार हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :–	राकेश पुरी गोस्वामी	अपीलार्थी
	नन्दलाल सुथार (उप तहसीलदार कनेरा)	प्रत्यर्थी संख्या 1
	महेश राजपुरोहित (पटवारी, पटवार हल्का कनेरा)	प्रत्यर्थी संख्या 2
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध उप तहसीलदार कनेरा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 004/2025 बअनवान पटवार हल्का कनेरा बनाम किशनलाल धाकड में दिनांक 09.06.2025 को पारित निर्णय

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के उप तहसीलदार कनेरा तहसील निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 004/2025 अनवानी सरकार जरिये पटवारी हल्का कनेरा बनाम प्रहलाद धाकड अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निर्णय दिनांक 09.06.2025 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलार्थी की और से स्थगन हेतु स्थगन प्रार्थना–पत्र पृथक से पेश किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर उप–तहसीलदार कनेरा के पत्रांक/ राजस्व/2025/98 दिनांक 08.08.2025 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 004/2025 निर्णय दिनांक 09.06.2025 अनवानी सरकार बनाम प्रहलाद धाकड अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। प्रकरण में प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। दिनांक 12.08.2025 को प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 भी स्वयं हाजिर आये एवं जवाब अपील एवं जवाब स्थगन प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की और से लिखित बहस पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद पेश की गई है। प्रकरण में स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर पत्रावली को वास्ते बहस अपील हेतु रखा गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 18.03.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट एवं धारा 91 के नोटिस के आधार पर चरागाह भूमि खसरा नंबर 521 रकबा 7.49 हैक्टेयर किस्म गे.मू. मंगरी में से रकबा 0.57 हैक्टेयर पर अपीलार्थी का अतिक्रमण हटाये जाने बात् दिनांक 19.03.2025 को प्रकरण दर्ज कर आगामी पेशी दिनांक 26.03.2025 को अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में रीट करने पर आलौच्च आदेश निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु आदेश पारित किया। उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर विधि के विपरित एवं प्राकृति न्याय के सिद्धांत के विपरित पुनः दिनांक 09.06.2025 को अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतिक्रमी/अपीलार्थी को 0.24 हैक्टेयर रकबा के लिए धारा 91 का नोटिस दिया गया एवं कार्यवाही भी 0.24 हैक्टेयर के लिए ही शुरू की गई जो कि दिनांक 19.03.2025 की आदेशिका से प्रमाणित है। पूर्व में पारित दिनांक 26.03.2025 के आदेश के पेज नंबर 2 के अंतिम पैरा में स्पष्ट रूप से अंकित है कि खसरा संख्या 0.37 हैक्टेयर पर फसल खरीफ 2081 में भी अतिचार किया गया जिसकी बेदखली की कार्यवाही शेष होकर वर्तमान प्रकरण में वर्णित रकबा 0.24 हैक्टेयर पर से अतिरिक्त अतिक्रमण है। पत्नी कलादेवी द्वारा भी 0.40 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही शेष है। प्रार्थी व उसकी पत्नी द्वारा 1.01 हैक्टेयर पर अतिचार माना है, परन्तु कलादेवी को ना तो धारा 91 का नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं जिस रकबे से बेदखली की कार्यवाही शेष है उन सभी को सम्मिलित करते हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सम्पूर्ण अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। कुल कितने हैक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना है। इसका भी आलौच्य आदेश में कोई वर्णन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए मनमाफिक विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता एवं हाजिर प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार कनेरा से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का अवलोकन कराया एवं जवाब अपील एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया कर बताया कि धारा 91 के प्रकरण संख्या 004/2025 में ग्राम कनेरा तहसील निम्बाहेडा की चरागाह भूमि खसरा संख्या 521 में से रकबा 0.2400 हैक्टेयर पर अपीलार्थी का अवैध अतिक्रमण होने की पटवारी हल्का कनेरा द्वारा दिनांक 18.03.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही करते हुए दिनांक 26.03.2025 को पारित निर्णय में वर्तमान प्रकरण में अतिक्रमित रकबा एवं अपीलार्थी द्वारा फसल खरीफ संवत् 2081 में किये गये अतिक्रमण के अतिक्रमित रकबा सहित कुलिया अतिक्रमित रकबा पर स्थित पेड–पौधो एवं पक्के निर्माण को अग्रिम आदेश तक नहीं हटाते हुए अतिक्रमित कुलिया रकबा को राजतहवील लेने का आदेश दिया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर कराई। रिट पीटीशन संख्या 7508/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2025 से उप तहसीलदार कनेरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2025 को निरस्त कर पीटीशनर को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय करने हेतु आदेशित किये जाने तथा पीटीशनर को 10 दिवस के भीतर उप तहसीलदार कनेरा द्वारा प्रकरण संख्या 004/2025 की कार्यवाही में धारा 91 के जारी नोटिस दिनांक 19.03.2025 का जवाब पेश करने हेतु आदेशित किया जाने पर पीटीशनर को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की। अतिक्रमी/अपीलार्थी द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 18.03.2025 से असहमत होने से अप्रार्थी की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने के किये गये निवेदन पर भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का कनेरा द्वारा दिनांक 02.06.2025 को अप्रार्थी/अपीलार्थी की उपस्थिति में पुनः मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की, जिसमें अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में रकबा 1.4500 हैक्टेयर पर अतिक्रमण किया होना अंकित किया। अतिक्रमित रकबा के अन्तर के सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा यह बताया कि रकबा 0.5700 हैक्टेयर पर अतिक्रमण वर्तमान प्रकरण से तथा शेष रकबा फसल खरीफ संवत् 2081 में अपीलार्थी एवं उनकी पत्नी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण से संबंधित होकर कुलिया रकबा 1.45 हैक्टैयर पर वर्तमान में अतिक्रमण है, जिसका विस्तृत विवेचन प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.06.2025 के पृष्ठ संख्या 3 के द्वितीय पेरा में अंकित करते हुए निर्णय के अन्तिम पेरा में फसल खरीफ संवत 2081 में किये गये अतिक्रमण के अतिक्रमित रकबा सहित वर्तमान प्रकरण में अतिक्रमित रकबा पर स्थित पेड़–पौधों को अग्रिम आदेश तक नहीं हटाते हुए अतिक्रमित कुलिया भूमि को कब्जे राज लिये जाने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी का यह कथन, कि आलोच्य आदेश में कितने रकबा से अतिक्रमण हटाया जाना है, का अंकन निर्णय में नहीं किया गया है, पूर्णतया असत्य एवं माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए राजकीय सम्पति को हडपने का प्रयास मात्र हैं।

ग्राम कनेरा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की बजट घोषणा के मध्य नजर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ द्वारा महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए आवंटन हेतु उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव चाहे जाने पर पटवारी हल्का से जानकारी कराई गई, जिसमें उपयुक्त बिलानाम भूमि उपलब्ध नहीं होने से खसरा संख्या 521 में से वांछित भूमि का मात्र चिन्हीकरण किया गया था। वांछित भूमि पर अतिक्रमण होने की जानकारी होने से अतिक्रमण हटाने की नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बगीचा लगाने, अंग लागत लगा कर काश्त योग्य करने या अन्य कोई निर्माण करने मात्र से ही कोई व्यक्ति उसका मालिक नहीं हो जाता है। अतिक्रमण के प्रकरण में पारित आदेश में मौके पर स्थित पेड पौधों एवं पक्के निर्माण को अग्रिम आदेश तक नहीं हटाते हुए कुलिया अतिक्रमित रकबा को राज तहवील लेने का आदेश दिया गया है जो कि नियमानुसार कार्यवाही है।

अपीलार्थी का कब्जा निरन्तर नहीं है तथा अपीलार्थी के नाम पर स्थित खातेदारी भूमि की सूचना पटवारी हल्का द्वारा पेश ग्राम कनेरा के खाता संख्या 101, 103, 104, 109, 257 258 एवं 839 की नकलों के आधार पर अपीलार्थी के नाम पर कुलिया खातेदारी भूमि का रकबा 3.0360 हैक्टेयर होना निर्णय के पृष्ठ संख्या 5 पर अंकित बिन्दु संख्या 5 में अंकन किया गया था, किन्तु लिखित बहस में अपीलार्थी द्वारा अन्य समान व्यक्ति के नाम की नकले पेश किये जाने के तथ्य पर पुनः जानकारी कराये जाने पर खाता संख्या 104 एवं 839 में दर्ज खातेदार अपीलार्थी नहीं होकर अन्य समान नाम का व्यक्ति है। इस प्रकार अपीलार्थी के नाम पर दर्ज खातेदारी भूमि का रकबा 2.9500 हैक्टेयर है, जो सही है। अतिक्रमित भूमि चरागाह के नाम से दर्ज रिकोर्ड होकर प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन/आवंटन योग्य नहीं है।

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.06.2025 को अपीलार्थी की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर पेश मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या 004/2025 में दिनांक 09.06.2025 को पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 के द्वितीय पेरा में रकबा के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित करते हुए कुलिया अतिक्रमित रकबा 1.4500 हैक्टेयर को राज तहवील लेने का आदेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिया गया है। वर्तमान प्रकरण में अतिक्रमित रकबा 0.2400 हैक्टेयर के अतिरिक्त शेष रकबा फसल खरीफ संवत् 2081 में किये गये अतिक्रमण से सम्बन्धित है, जिस पर से भौतिक रूप से अतिक्रमण नहीं हटा था।

अतिक्रमित रकबा पर स्थित पेड–पौधों को हटाने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय/अधिकारीगण से मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु निवेदन करते हुए अतिक्रमित भूमि पर स्थित पेड पौधो को अग्रिम आदेश तक नहीं हटाते हुए अतिक्रमित कुलिया भूमि को कब्जेराज लेने का आदेश दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय/ अधिकारीगणों से मार्गदर्शन प्राप्त करना नियमानुसार है। अपीलार्थी कायह, कथन, कि मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद निर्णय पारित करना चाहिए था, स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थी उल–फिजूल तथ्य पेश कर माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए राजकीय सम्पति को हड़पना चाहता है। अपीलार्थी का वर्तमान में रकबा 1.4500 हैक्टेयर पर अवैध अतिक्रमण होकर प्रकरणाधीन भूमि चरागाह किस्म की राजकीय महत्व की एवं बेश–कीमती भूमि है। अतः अपीलार्थी द्वारा पेश अपील निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें। इसी ईल्तजा के साथ प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि विवादित आराजीयात चरागाह अभिलिखित होकर राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है एवं अपीलार्थी का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलार्थी की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण करना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः उप–तहसीलदार, कनेरा के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अतिक्रमित भूमि पूर्व में बिलानाम सरकार दर्ज थी एवं बिलानाम भूमि कुल खसरा 54 रकबा 1670 बीघा 14 बिस्वा को श्रीमान् के आदेश क्रमांक राजस्व/सा.प्र.आ./12–6 /04/629 दिनांक 16.04.2004 से चारागाह दर्ज कर दिया गया इसके पश्चात कनेरा में कोई बिलानाम भूमि शेष नहीं रही। पूर्व में बंजड मंगरी के रूप में दर्ज भूमि को प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अंग मेहनत से तैयार कर काफी धन खर्च कर पेड़ों का बगीचा तैयार किया गया एवं हजारों पेड आज खड़े है। राज्य सरकार द्वारा पौधे लगाये जाने हेतु अभियान चलाये जा रहे है एवं पेड पौधों को संरक्षित किये जा रहे है वहीं नायब तहसीलदार कनेरा द्वारा 1670 बीघा चारागाह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि में से उसी भूमि पर राजकीय कॉलेज को आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे हजारों पेड़ों को काट जायेगा। राजनैतिक द्वैषता से हजारों पेड पौधों को नष्ट किये जाने से रूकवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अपीलार्थी का 31 वर्षो से बेरोकटोक निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है एवं उपरोक्त भूमि किसी भी रूप में चारागाह योग्य नहीं है। प्रार्थी के परिवार का गुजर बसर इसी बगीचे से चलता है। समान नाम के अन्य व्यक्तियों की जमाबंदी लगा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अपीलार्थी के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का की रिपोर्ट अनुसार 0.24 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण माना, पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26.03.2025 में प्रार्थी व उसकी पत्नी द्वारा कुल 1.01 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण माना एवं दिनांक 09.06.2025 को पारित आदेश में कुल 1.45 हैक्टेयर पर अतिक्रमण पाया गया। नायब तहसीलदार कनेरा, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवार हल्का कनेरा को अपनी ही भूमि के संबंध में जानकारी नहींहोने हास्यास्पद स्थिति है, 0.24 हैक्टेयर भूमि के संबंध में कार्यवाही शुरू की गई एवं उसी पर सुनवाई हुई इसके बाद अन्य रकबे के संबंध में आदेश पारित किया जाना विधिक रूप से सही नहीं है। विधि के विपरित आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में उपखण्ड अधिकारी महोदय को पत्र भेज कर पेड़ों एवं पक्के निर्माण को हटाने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है, जबकि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय से पूर्व में मार्गदर्शन प्राप्त कर उसके बाद ही अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में कोई निर्णय पारित किया जाना चाहिए था इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2025 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2025 विधि अनुसार पारित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?**’’

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :–

91. Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful authority shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:
Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। हमने राजस्व विधियों का गहनता पूर्वक चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। आराजीयात जैरबहस चरागाह दर्ज रेकार्ड है जिसके हितों की रक्षा करने का भार विधि अनुसार तहसीलदार में निहित है एवं पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर उप–तहसीलदार कनेरा ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस प्रेषित कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जिसकी पुष्ठि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधि अनुसार नोटिस जारी कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। यहॉ उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रावधिक किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विधिसम्मत प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा करता है या कब्जा करना जारी रखता है, उसे अतिचारी माना जाएगा और तहसीलदार द्वारा उसके प्रस्ताव पर या किसी स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर, जिसके अधीन ऐसी भूमि रखी गई है, किसी भी समय उसे वहां से सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है; और ऐसी भूमि पर खड़ी कोई फसल, या निर्मित कोई भवन या अन्य निर्माण, या जमा की गई कोई वस्तु, यदि ऐसे उचित समय के भीतर नहीं हटाई जाती, जिसे तहसीलदार समय–समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित करे, तो राज्य को जब्त कर ली जाएगी और ऐसी किसी भी फसल के मामले में उसका निपटान उस तरीके से किया जाएगा, जिसे वह ठीक समझे और अन्य मामलों में, जैसा कलक्टर निर्देश प्रदान करे, बशर्ते कि तहसीलदार ऐसे किसी भवन या अन्य निर्माण को जब्त करने का आदेश देने के बदले में, उसके पूरे या किसी भाग को ध्वस्त करने का आदेश दे सकता है, तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अतिचार के मामले में, उसे तहसीलदार के आदेश से, तीन माह तक की अवधि के लिए सिविल कारागार में भेजा जा सकता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा अपीलार्थी को विधिक प्रावधानों के अध्यधीन अपीलार्थी को नोटिस कर सुनवाई प्रारम्भ की तथा अपीलार्थी के उपस्थित होने पर अपीलार्थी द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरांत उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट बाबत् आदेश दिये गये है व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब एवं लिखित बहस में उठाये गये समस्त तथ्यों को समायोजित/विश्लेषित करने के पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2025 पारित किया जाना जाहिर होता है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करके विधिक प्रावधानों के तहत सुनवाई का प्रकरण की समुचित कर अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया।

हस्तगत अपील में अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को उठाया गया है कि अतिक्रमित भूमि पूर्व में वर्ष 2004 से बिलानाम दर्ज थी एवं सन् 2004 के पश्चात् चरागाह दर्ज रेकार्ड की गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आराजीयात जैरबहस जो कि अपीलार्थी की अतिक्रमित भूमि है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चरागाह दर्ज रिकार्ड है। पूर्व में दर्ज रेकार्ड भूमि के प्रश्न के संबंध में किसी भी प्रकार से अभिवचन/विश्लेषण किया जाना हस्तगत प्रकरण की परिधि से भिन्न विषय है जिसके संबंध में किसी भी प्रकार का विवेचन/विश्लेषण हस्तगत प्रथम अपील में किया जाना समीचीन नहीं होना। हस्तगत प्रकरण का निर्णय का आधार बिन्दु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह भूमि दर्ज होना ही है।

इसके साथ ही जहां अपीलार्थी द्वारा रकबे के भिन्नता के तथ्य को उठाया गया है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलार्थी के आवदेन पत्र पर ही अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.2025 से अपीलार्थी की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने के आदेश दिये गये है, तत्पश्चात् अपीलार्थी की उपस्थिति में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 को तैयार की गई। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 18.03.2025 एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 में भिन्नता के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि फसल खरीफ 2081 में अतिक्रमित रकबा भी दिनांक 02.06.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट में सम्मिलित होना बताया है, एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2025 पारित किया जाना प्रतिवेदित होता है। इस प्रकार से रकबे के भिन्नता का प्रश्न अपीलार्थी के संज्ञान में होने से पूर्णतः सारहीन हो जाता है।

अपीलार्थी द्वारा पूर्व वर्षो में अतिक्रमण का तथ्य उठाया गया है। यहॉ उललेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा विगत वर्षो में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये गये अतिक्रमित रकबा से भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा कर अतिक्रमित भूमि को अतिचार से मुक्त कराये जाने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जाने पर पुनः धारा 91 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाना जाहिर है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्येक अतिक्रमण वर्ष में शास्ति आरोपित करने एवं अतिक्रमित रकबा पर फसल बोये जाने की स्थिति में फसल की निलामी कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने से अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण प्रत्येक फसल के बाद हटाया जाना जहिर है। अतिक्रमित भूमि पर लाखों की लागत लगाकर काबिल काश्त बनाने का प्रश्न है, यहॉ उल्लेखनीय है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियों के संबंध में लागत लगाने या भूमि सुधार करने या कब्जा पुराना होने से कोई भी अतिक्रमी भूमि का मालिक या भूमि पर आधिपत्य रखने का अधिकारी नहीं हो जाता है। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा सिविल अपील संख्या **1132/2011 जगपाल सिंह** व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 से निर्देश प्रदान किये गये है कि अवैधताओं को नियमित नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों के साझा हितों को केवल इसलिए प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता क्योंकि अनधिकृत कब्ज़ा कई वर्षों से जारी है। यहॉ प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक होन के साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी की होने से किसी भी प्रकार से निजी उपयोग–उपभोग हेतु प्रयोग में नहीं ली जा सकती है, ऐसे में अपीलार्थी द्वारा उठाया गया लम्बे समय से कब्जे का तथ्य पूर्णतः सारहीन हो जाता है।

इस प्रकार **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा एम.आई. बिल्डर्स (पी) लिमिटेड बनाम राधेश्याम साहू, **1999(6) एससीसी 464** में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के विध्वंस के बाद एक पार्क के जीर्णोद्धार का आदेश दिया था। फ्रेंड्स कॉलोनी डेवलपमेंट कमेटी बनाम उड़ीसा राज्य, **2004 (8) एससीसी 733** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि जहां कानून गैर–स्वीकृत निर्माणों की प्रशमन **(Compounding)** करने की अनुमति देता है, वहां भी ऐसा प्रशमन **(Compounding)** केवल अपवाद के रूप में होना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांकः प.10(3)राज–6/2001/08 दिनांक 26.07.2017 से निर्देश जारी किये गये है कि चरागाह आरण जोहड श्मशान कब्रिस्तान आदि शामलात भूमि पर हुये अतिक्रमणों से मुक्त कराने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावें। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत की कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित होता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में चरागाह भूमि को उस श्रेणी में रखा गया है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है। राजस्थान भू–राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी भूमि आवंटन के संबंध में बनाये गये नियमों में भी उस श्रेणी की भूमियों को आवंटन से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.9(17)राज–6/2017/09 दिनांक 06.01.2021 के केवल मात्र आत्यंतिक आवश्यकताओं के लिये वर्णित प्रयोजनार्थ हेतु चरागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन कर आवंटन किये जाने के प्रावधान प्रावधित है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/नियमों एवं आदेशों में वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना में अतिक्रमित चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटा कर मूल स्वरूप में लाया जाना ही एकमात्र विकल्प है।

चरागाह भूमि के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत् संबंधित तहसीलदार को विधि अनुसार शक्तियां प्राप्त है ताकि राजकीय भूमि पर अवैधानिक/जबरन/कब्जे/अतिक्रमण को रोका जा सके, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2(44) अनुसार अतिक्रमी करार दिया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के परिशीलन से निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2025 में किसी भी प्रकार से कोई विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2025 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, जिससे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2025 संपुष्ट किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 013/2025(रा.अ.) अनवानी किशनलाल बनाम सरकार अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार कनेरा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 004/2025 निर्णय दिनांक 09.06.2025 अनवानी सरकार बनाम प्रहलाद को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **08.10.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official